प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर, जिला–जशपुर(छ.ग.)

स्टेनोग्राफर हिन्दी(नियमित) एवं स्टेनोग्राफर हिन्दी(संविदा) तथा सहायक ग्रेड–03 (नियमित) एवं सहायक ग्रेड–03(संविदा) के पदों पर भर्ती के संबंध में कौशल (प्रायोगिक) परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1– कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय अर्थात् 9:00 बजे से **01 घंटा** पूर्व **प्रातः 8:00** बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर में उपस्थित होना होगा । **11:00 बजे** के पश्चात् परीक्षार्थी के उपस्थित होने पर, उसे कौशल(प्रायोगिक) परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा ।

2– कौशल परीक्षा में उपस्थित परीक्षार्थी, अपने–अपने वर्ग के अनुरूप निर्धारित स्थानों पर अपनी–अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे ।

3– कौशल परीक्षा में उपस्थित परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में भी उपस्थिति पत्रक में अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे ।

4– परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व **कम्प्यूटर सेट** की अच्छे से जाँच कर लेवें, परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में कम्प्यूटर सेट बदला नहीं जावेगा ।

5– सहायक ग्रेड–03(नियमित) एवं सहायक ग्रेड–03(संविदा) हेतु परीक्षार्थियों को **250 शब्द** के **गद्यांश** को **10 मिनट** में उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में **Krutidev 10 Font** में **Font Size–16** में शुद्धता से टाईप करना होगा। टंकित शब्द की प्रत्येक त्रुटि के लिए **1/5 अंक काटा** जावेगा, जो **हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग** तथा **टाईप** की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा ।

6– परीक्षार्थी को कौशल(प्रायोगिक) परीक्षा हेतु पृथक से **अनुक्रमांक आबंटित नहीं किया गया है**, इसलिए परीक्षार्थियों को उनके द्वारा आवेदित पद हेतु जो **पंजीयन नंबर** आबंटित किया गया है, कौशल परीक्षा के लिए वही उनका अनुक्रमांक भी होगा ।

7– कैमरा, मोबाइल फोन व अन्य किसी प्रकार का ईलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा में लाना प्रतिबंधित है, किसी प्रकार का ईलेक्ट्रॉनिक डिवाईस परीक्षार्थी के पास पाये जाने पर परीक्षा से वंचित किया जावेगा ।

8– परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में वीक्षक के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, वीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन परीक्षार्थी द्वारा न करने पर, उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा ।

-- 00 --